रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932
No. 148] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 262(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं. आ. 257"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2010 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, "विरासत संरक्षण"—ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्त्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण और संरक्षण तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
असम	1500.00
बिहार	237.00
छत्तीसगढ़	250.00
गोवा	420.00
गुजरात	625.00
हरियाणा	750.00
हिमाचल प्रदेश	250.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	225.00
कर्नाटक	1897.00
केरल	625.00
मध्य प्रदेश	1000.00
महाराष्ट्र	2500.00
मणिपुर	125.00
मेघालय	187.50

(1)	(2)
मिजोरम	250.00
नागालैंड	125.00
उड़ीसा	997.00
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	123.76
तमिलनाडु	1000.00
उत्तर प्रदेश	1201.52
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्य को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(7)/2010-वि. I]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2010

G.S.R. 262(E).—The following Order made by the President is published for general informantion:—

"C.O. 257"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 7 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of Article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2009, as grants-in-aids of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for "Heritage Conservation"—preservation and protection of historical monuments, archeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Assam	1500.00
Bihar	237.00
Chhattisgarh	250.00
Goa	420.00
Gujarat	625.00
Haryana	750.00
Himachal Pradesh	250.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	225.00
Karnataka	1897.00
Kerala	625.00
Madhya Pradesh	1000.00
Maharashtra	2500.00
Manipur	125.00
Meghalaya	187.50
Mizoram	250.00
Nagaland	125.00
Orissa	997.00
Rajasthan	1250.00
Sikkim	123.76
Tamil Nadu	1000.00
Uttar Pradesh	1201.52
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of Article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(7)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.